

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 107/2018

1. श्री गिरधरसिंह राठौड पुत्र स्व० श्री नारायणसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम सतावडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरू पुत्र स्व० श्री भागू ।
2. श्री बालू पुत्र स्व० श्री छितर ।
3. श्री कानाराम पुत्र स्व० श्री श्योजी ।
4. श्री छोटूराम पुत्र स्व० श्री श्योजी ।
5. श्री मोडाराम पुत्र स्व० श्री लादू ।
6. श्री कालूराम पुत्र स्व० श्री लादू ।
7. श्री देवा पुत्र स्व० श्री गमीरा ।
8. श्री पुसा पुत्र स्व० श्री देवा ।
9. श्री प्रभू पुत्र स्व० श्री देवा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सतावडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा ।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव 111 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम सतावडिया पटवार हल्का सतावडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 3113 रकबा 00-03-10 व 3122 रकबा 08-11-00 व 3124 रकबा 00-01-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमियां है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे ।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम सतावडिया पटवार हल्का सतावडिया की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 79 में खसरा नम्बर 3113 रकबा 00-03-10 व 3122 रकबा 08-11-00 व 3124 रकबा 00-01-00 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि -

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम सतावडिया पटवार हल्का सतावडिया स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3113 रकबा 00-03-10 व 3122 रकबा 08-11-00 व 3124 रकबा 00-01-00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया ।



(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोहनलाल खटनावलिया)

